कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

जुमन मियां बनाम् वली इआलम वगैरह

विविध वाद संख्या......10............/2021-22

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदक जुमन मियां, पिता अली हुसैन ग्राम- बरांय, पो0 बरांय, थाना- बिष्णुगढ, जिला- हजारीबाग द्वारा आवेदन समर्पित कर निम्नलिखित भूमि का झारखण्ड भूमि दाखिल खारिज अधिनियम की धारा 15 के तहत् जमाबंदी अपील वाद प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है।

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
जरमुने	108	52	2150	04 डी0
जरमुने	108	52	2151	03 डी0
			कुल रकवा :-	07 डी0

अतः उभय पक्षों को नोटिस नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 23.2.22 को रखें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर-सरिया।

[...]की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.2.22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 9.3.2022 को रखें।	
9.3.22	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष वकालतनामा हाजिर। द्वितीय पक्ष के द्वारा WS दाखिल किया गया। बहस हेतु दिनांक 16/03/22 को रखें। [illegible]	
16.3.22	उभय पक्ष वकालतनामा हाजिर। अभिलेख दिनांक 30.3.22 को रखें।	
30.3.22	उभय पक्ष वकालतनामा हाजिर। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस जमाबंदी को खारिज किया जाना है। जमाबंदी खारिज करने का आधार पर अपने आवेदन में अंकित नहीं किया	

...की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	गया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक स्वयं स्पष्ट नहीं है कि उनके द्वारा क्या वाद लाया गया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस भूमि से सम्बन्धित स्वत्व का मामला व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त विवेचन के आलोक में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुये वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। उभय पक्ष अपनी बात व्यवहार न्यायालय में रखें। [signature] LRDC.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.03.31 16:50:55 +05:30
Location: 192.168.1.7